दूरभाष : 0771.2285352, 2285353(फैक्स)
E-mail : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in

भारत की जनगणना
CENSUS OF INDIA
2011

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH
गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर – 492006
Govind Sarang Complex, 3rd Floor, New Rajendra Nagar, Raipur -492006

क्रमांक डी–26018 / 1 / 2012 डीसीओ(छ.ग.) / N/ 844 दिनांक 24/7/2015

// निविदा //

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, गोविंद सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर स्थित कार्यालय हेतु पंजीकृत फर्म से किराये पर लिये जाने हेतु **निम्न अ** के अनुसार वाहन अनुबंध पर मासिक आधार पर (अवकाश के दिनों को छोड़कर) तथा **ब** में उल्लेखित वाहन समय–समय पर आवश्यकतानुसार मासिक / दैनिक आधार पर किराये पर लिये जाने हेतु सीलबंद निविदा आमंत्रित करता है:–

"अ"

क	वाहन का नाम	वांछित संख्या
1	Indica DL V2(BSII) Non-AC या Indica LIV2 (BSII) Non-AC	01 (आवश्यकतानुसार वाहनों की संख्या मे बढोतरी हो सकती है।)

मासिक आधार पर

1 प्रतिमाह किराया दर में वाहन 2500 कि.मी. चलित सम्मिलित है जिसमें डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।

2 2500 कि.मी. चलने के उपरांत प्रति कि.मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जावेगा जिसमें डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।

"ब"

क	वाहन का नाम	वांछित संख्या
1	Tata Indigo Diesel, Non-AC	आवश्यकतानुसार।

दैनिक आधार पर

3. प्रतिदिन (12 घंटे) किराया दर में वाहन 100 कि.मी. तथा प्रति अर्द्ध दिवस (6 घंटे) 50 कि.मी. चलित सम्मिलित है जिसमें डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।

4. 100 कि.मी. चलने के उपरांत प्रति कि.मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जावेगा जिसमें डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।

24/7/15

<u>अन्य नियम व शर्ते :–</u>

5 वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से वाहन जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।

6 वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुरार होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिये।

7 एक बार दी गई वाहन एवं वाहन चालक को जब तक कि कोई विशेष कारण न हो, बदला नहीं जावेगा। यदि ऐसा किया जाना आवश्यक होता है तो इसकी पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

8 वाहन चालक का व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक के अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अर्हता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा।

9 वाहन चालक ड्यूटी के समय वर्दी में रहेगा जिसे वाहन मालिक द्वारा वहन किया जावेगा।

10 वाहन की मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख–रखाव की स्थिति में फर्म द्वारा तत्काल दूसरी वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

11 किराये पर लिये गये वाहन एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा अच्छी स्थिति में होना चाहिये। ऐसा नहीं होने पर तत्काल हटा दिया जावेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा।

12 वाहन की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लाग बुक/लॉग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।

13 देयक तीन प्रतियों में मय लॉगबुक/लॉग कार्ड के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा। देयक का भुगतान चेक के माध्यम से किया जावेगा। वाहन देयक से नियमानुसार आयकर की कटौती कर भुगतान किया जावेगा तथा वाहन मालिक अन्य टैक्स/सेवा शुल्क आदि के भुगतान के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।

14 संबंधित फर्म का **PAN** नं. हेतु **PAN** कार्ड की स्व सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

15 वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार संबंधित विभाग का होगा। विभाग द्वारा वाहन अनुबंध को 7 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व वाहन मालिक द्वारा भी 7 दिन पूर्व सूचना पर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।

16 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण नियंत्रण अधिकारी, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा किया जावेगा तथा उसकी सीमा क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ होगा।

17 वाहन कार्यालय में संलग्न करने के पूर्व संलग्न किये जा रहे वाहन के समस्त दस्तावेजों यथा रजिस्ट्रेशन, बीमा आदि की फोटोकापी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

18 निर्धारित दर आगामी एक वर्ष तक के लिये प्रभावशील होंगे तथा डीजल आदि के दर वृद्धि पर भी दर में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

24/7/15

उपरोक्त नियम व शर्तो के मान्य करने वाले निजी ट्रेवल्स मासिक आधार पर/दैनिक आधार पर अलग–अलग प्रस्तुत करें साथ ही निश्चित की गई कि.मी. के बाद अतिरिक्त चलित कि.मी. के लिये भी दर सहित निविदा जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ में दिनांक 05/08/2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है। इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा। दिनांक 05/08/2015 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कार्यालय के क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जावेगा। निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्त्ता के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रण अधिकारी, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पास सुरक्षित है।

(आर.पटेल)
सहायक निदेशक